न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
पीठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बर 206/2023 प्रार्थनापत्र

01. श्री गंगाराम पुत्र श्री चतरा जाति बलाई आयु वयस्क निवासी– भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– प्रार्थीगण

बनाम

01. श्री भैरूलाल पिता दयारामगुर्जर निवासी अलगवास तहसीलकरेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. मोहन लाल पिता उदागुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. रामलाल पिता उदागुर्जर निवासी भभाणा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
1. श्री कन्हैयालाल सेन —अधिवक्ता प्रार्थी
2. एकपक्षीय –– विपक्षी संख्या 01 से 03
3. पेरोकार सरकार ––विपक्षी संख्या 04

:: निर्णय ::

दिनांक–12.5.2025

प्रार्थीगण के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता सख्या 33 मे आराजी नम्बर 1809/3, 1896/1725, 1897/1725, कुल किता 03 रकबा 2.5292 हैक्टयर भूमि स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थीगण का ही कब्जा एवं उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थीगण की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1337/674 रकबा 0.7588 हैक्टर आराजी नम्बर 1336/674 रबका 0.5059 हैक्टर आराजी नम्बर 674, 674/1, की मैड से होकर आता जाता है, उक्त रास्ता 30 फीट चौडाई के रास्ते को दर्ज कराया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षीगण द्वारा उपस्थित नही होने से विपक्षीगण के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रकरण मे मौके का निरीक्षण कर प्रार्थीगण की आराजियात पर प्रस्तावित रास्ता है अथवा नही या वैकल्पिक रास्ता भी उपलब्ध है या नही, इस तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार करेड़ा से मंगवाई जाने की आदेशिका पारित की।

प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा आवेदनपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए राजस्व अभिलेख , नक्शा ट्रेस एवं तहसीलदार द्वारा तैयार कराई मौका निरीक्षण रिपोर्ट की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित कर प्रस्तावित रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता प्रार्थीगण को आराजियात पर आने जाने , संज बैलगाडी एंव कृषि उपकरण लाने ले जाने के कृषि कार्य का कोई वैकल्पिक रास्ता न होना रिपोर्ट से दृष्टिगत होता है। तहसीलदार द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी के नाम पर सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे खाता सख्या 33 मे आराजी नम्बर 1809/3, 1896/1725, 1897/1725, कुल किता 03 रकबा 2.5292 हैक्टयर दर्ज रेकार्ड है। सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1337/674 रकबा 0.7588 हैक्टर आराजी नम्बर 1336/674 रबका 0.5059 हैक्टर आराजी नम्बर 674, 674/1,

उपखण्ड अधिकारी पद

विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 के नाम पर दर्ज रेकार्ड, मौके पर वर्तमान मे उक्त आराजियात पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता भी नही है। मौका रिपोर्ट अनुसार आराजी नम्बर 544, 644, 670, 671, 1336/674, 1337/674 की मैड पर होकर आराजी नम्बर 1809/3, मे आ जा रहे है, आराजी नम्बर 1336/674 रकवा 0.5059 हैक्टयर खातेदार रामलाल , मोहन लाल पिता उदागुर्जर के नाम पर दर्ज रिकोर्ड है, एवं आराजी नम्बर 1337/674 रकवा 0.7588 हैक्टयर भैरू लाल पिता दयाराम गुर्जर के नाम दर्ज रिकोर्ड है रिकोर्ड एवं मोके की स्थिति के अनुसार ग्राम भभाणा की खातेदारी कृषि भमि आराजी नम्बर 1336/674, की पश्चिमी मेड के सहारे –सहारे चौडाई 1.83 मीटर रकवा 0.0189 हैक्टयर मे रास्ता व आरजी नम्बर 1337/674 की पुर्वी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा मे चोडाई उत्तर दिशा मे 1.83 मीटर आराजी नम्बर 1336/674 के दक्षिणी पश्चिमी कोण के पश्चिम के पास चौडाई 3.66 मीटर व दक्षिणी तरफ 3.66 मीटर चौडाई रकबा 0.0491 हैक्टयर मे प्रस्तावित रास्ता दिया जाना उचित है।रास्ते की चैडाई 3.66 मीटर (12फीट) रहैगी जो आराजी नम्बर 1809/3, ग्ग्रम अलगवास के पुर्वी उत्तरी कोने पर मिलेगी इससे निकटतम रास्ता नही है।

मैने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , प्रार्थी की आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1809/3, 1896/1725, 1897/1725, कुल किता 03 रकबा 2.5292 हैक्टयर भूमि मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1337/674, 1336/674, आराजी नम्बर 1336/674, की पश्चिमी मेड के सहारे –सहारे चौडाई 1.83 मीटर रकबा 0.0189 हैक्टयर मे रास्ता व आरजी नम्बर 1337/674 की पुर्वी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा मे चोडाई उत्तर दिशा मे 1.83 मीटर आराजी नम्बर 1336/674 के दक्षिणी पश्चिमी कोण के पश्चिम के पास चौडाई 3.66 मीटर व दक्षिणी तरफ 3.66 मीटर चौडाई रकबा 0.0491 हैक्टयर मे प्रस्तावित रास्ता दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर प्रार्थी की सरहद अलगवास पटवार हल्का भभाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र करेड़ा तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर आराजी नम्बर 1809/3, 1896/1725, 1897/1725, कुल किता 03 रकबा 2.5292 हैक्टयर मे आने जाने हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1336/674, मेसे 0.0189 हैक्टयर एवं 1337/674 मे से 0.0491 हैक्टयर रास्ते के रूप मे काम आने वाला कुल रकबा 0.0680 हैक्टयर विपक्षीगण की आराजी नम्बर 1336/674, की पश्चिमी मेड के सहारे –सहारे चौडाई 1.83 मीटर रकबा 0.0189 हैक्टयर में रास्ता व आरजी नम्बर 1337/674 की पुर्वी मेड के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा मे चोडाई उत्तर दिशा मे 1.83 मीटर आराजी नम्बर 1336/674 के दक्षिणी पश्चिमी कोण के पश्चिम के पास चौडाई 3.66 मीटर व दक्षिणी तरफ 3.66 मीटर चौडाई रकबा 0.0491 हैक्टयर भुमी रास्ते के रूप मे दिये जाने का आदेश दिया जाता है। तथा इसी भांति राजस्व नक्शा मे प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता कायम करने की आज्ञा पारित की जाती है। इस आदेश की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर इस निर्देश के साथ जारी की जावे कि रास्ते के लिए आरक्षित की जाने वाली 0.0680 हेक्टयर रास्ते की भूमि की डी.एल.सी. दर से दो गुणा राशि 16810 रूपयें प्रार्थी से वसूल कर विपक्षीगण को क्षतिपूर्ति हेतु अदा की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 12.05.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(जोगेन्द्र सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)